30 अक्टूबर, 2015 को नई दिल्ली में आयोजित संबंधी राज्यों के मध्य समझौते के ज़रिए मतैक्यता निर्माण करने और सहमति पर पहुँचने के लिए गठित उप-समिति के द्वितीय बैठक की कार्यवृत्त (मतैक्यता समूह की 13 वीं बैठक)

केन्दीय जल आयोग के अध्यक्ष की अध्यक्षता में 30 अक्टूबर, 2015 को सेवा भवन, आर.के पुरम, नई दिल्ली में राज्यों के मध्य समझौते के ज़रिए मतैक्यता निर्माण करने और सहमति पर पहुँचने के लिए गठित उप-समिति की द्वितीय बैठक (भूतपूर्व मतैक्यता समूह की 13 वीं बैठक) आयोजित हुई थी। इस बैठक में कर्नाटक, तमिलनाडु, झारखण्ड और पश्चिम बंगाल के प्रतिनिधि उपस्थित थे। सहभागियों की सूची संलग्नक I में है।

आरंभ में, अध्यक्ष ने सहभागियों का हार्दिक स्वागत किया। सभी सहभागियों के संक्षिप्त परिचय के बाद अध्यक्ष ने रा.ज.वि.अ के सदस्य सचिव और महानिदेशक से एजेंडा मुद्दे पर चर्चा आरंभ करने का अनुरोध किया।

बैठक में चर्चा के लिए प्रस्तावित एजेंडा मुद्दों पर संक्षिप्त आरंभिक टिप्पणी देने के पश्चात रा.ज.वि.अ के महानिदेशक ने मुख्य अभियंता (मुख्यालय) से एजेंडा मुद्दों पर प्रस्तुतीकरण पेश करने का अनुरोध किया। चर्चा एवं लिए गए निर्णयों का संक्षिप्त सार नीचे प्रदर्शित है।

मुद्दा संख्या 2.1: 17.04.2015 को नई दिल्ली में आयोजित "संबंधी राज्यों के मध्य समझौते के ज़रिए मतैक्यता निर्माण करने और सहमति पर पहुँचने के लिए गठित उप-समिति" के प्रथम बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि

मुख्य अभियंता (मुख्यालय), रा.ज.वि.अ ने सूचित किया कि पत्र संख्या न.के.अं.वि.स/तक/400/2(iv)/2015/460-73 दिनांकित मई 07, 2015 के माध्यम से उप-समिति के प्रथम बैठक की कार्यवृत्त संचारित की गई थी। उप-समिति के किसी भी सदस्य के तरफ से कोई टिप्पणी नहीं मिली है। अतः, संचारण अनुसार उप-समिति के बैठक की कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।

मुद्दा संख्या 2.2: पिछली बैठक के दौरान लिए गए निर्णयों पर अनुवर्ती कार्यवाही

मुद्दा:	अनुवर्ती कार्यवाही:
1.1 रा.प.यो के अंतर्गत नेत्रावती – हेमावती लिंक उप-समिति के प्रथम बैठक के दौरान, कर्नाटक सरकार के प्रतिनिधि ने दो महीने के भीतर नेत्रावती नदी के जल उपयोग योजना के विवरण सहित संबंधित आंकड़ों की जानकारी प्रदान करने का आश्वासन दिया था। कर्नाटक सरकार के तरफ से अब भी उत्तर मिलने की प्रतीक्षा है।	कर्नाटक सरकार के प्रतिनिधि ने आश्वासन दिया था कि वे रा.ज.वि.अ को एक सप्ताह के भीतर नेत्रावती नदी के जल उपयोग योजना के विवरण सहित संबंधित आंकड़ों की जानकारी प्रदान करेंगे। तमिल नाडू के प्रतिनिधि ने बताया कि रा.ज.वि.अ ने नेत्रावती – हेमावती लिंक की पूर्व-व्यवहार्यता रिपोर्ट काफी पहले हीं तैयार कर ली थी और रा.ज.वि.अ द्वारा इस लिंक की व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने के लिए कर्नाटक सरकार से शीघ्र सहमति प्रदान करने का अनुरोध किया गया था।
1.2 रा.प.यो के अंतर्गत बेदती – वरदा लिंक उप-समिति के बैठक में लिए गए निर्णय अनुसार, रा.ज.वि.अ ने प्रधान सचिव, ज.सं.वि, कर्नाटक सरकार को एक अर्ध सरकारी पत्र दिनांकित 17 अप्रैल, 2015 भेजा था ताकि बेदती-वरदा लिंक के प.प्र.आं अध्ययन की विचारणीय विषय पर अंतिम निर्णय लेने के मुद्दे को शीघ्र निपटाया जा सके।	कर्नाटक सरकार के प्रतिनिधि ने विनती किया कि प.प्र.आं अध्ययन के विचारणीय विषय में सूचित अध्ययन क्षेत्र में केवल सिरसी तालुका के वजाय सम्पूर्ण उत्तर कन्नड़ जिलाएँ भी शामिल होंगी। इसके अलावा, उन्होंने रा.ज.वि.अ से इस लिंक परियोजना की प.प्र.आं अध्ययन करने का अनुरोध

कर्नाटक राज्य सरकार के तरफ से अब भी इसका उत्तर मिलने की प्रतीक्षा है।	किया। रा.ज.वि.अ के महानिदेशक ने सूचित किया कि कर्नाटक सरकार द्वारा इस लिंक परियोजना का प.प्र.आं अध्ययन आयोजन का निर्णय इस परियोजना का विरोध करते स्थानीय अशासकीय संस्था के माँगों के आधार पर था। उप-समिति के अध्यक्ष ने सलाह दिया कि कर्नाटक सरकार को कर्नाटक सरकार के प्रतिनिधि के तरफ से प्रस्तावित अध्ययन क्षेत्र के संशोधन सहित रा.ज.वि.अ द्वारा भेजे गए विचारणीय विषयों के उपयोग से तुरंत बेदती-वरदा लिंक का प.प्र.आं अध्ययन करवाना चाहिए।
1.3 अंतः-राज्य लिंक प्रस्ताव **1.3.1 संख – दक्षिण कोइल लिंक और** **1.3.2 दक्षिण कोइल – सुबर्णरेखा लिंक** उप-समिति के प्रथम बैठक में लिए गए निर्णय अनुसार संख-दक्षिण कोइल और दक्षिण कोइल -सुबर्णरेखा लिंक से संबंधित मुद्दों के संबोधन के लिए रा.ज.वि.अ के महानिदेशक के अध्यक्षता के अंतर्गत एक समूह संस्थापित करने का निर्णय लिया गया था। सितम्बर 29, 2015 को इस समूह की एक बैठक आयोजित हुई थी, जिसमे रा.ज.सं पटना के ज़रिए जल विज्ञान अध्ययन निष्पादित करने का फैसला लिया गया था।	झारखण्ड सरकार के प्रतिनिधि ने यह सूचित किया कि उनके सरकार ने अनुकरण अध्ययनों हेतु आवश्यक आंकड़ें पहले ही प्रदान किए हैं। मुख्य अभियंता (मुख्यालय), रा.ज.वि.अ ने बताया कि ओडिशा सरकार ने भी आवश्यक आंकड़ें जमा कर दिए हैं। आंकड़ों की पर्याप्तता और विश्वसनीयता के लिए उनकी जाँच की जा रही है और यह कार्य एक महीने के भीतर समाप्त हो जाने की संभावना है। रा.ज.वि.अ के महानिदेशक के अवलोकन अनुसार अध्ययन में केवल पर्याप्त एवं वास्तविक आंकड़ों का उपयोग किया जाएगा।

मुद्दा संख्या 2.3: अंतः-राज्य लिंक "बराकर-दामोदर-सुबर्णरेखा" लिंक

(i) बैठक के दौरान, मुख्य अभियंता (मुख्यालय), रा.ज.वि.अ ने बराकर-दामोदर-सुबर्णरेखा (ब-दा-सु) लिंक परियोजना पर एक प्रस्तुतीकरण पेश किया था, जिसमे रा.ज.वि.अ द्वारा बनाए गए (वर्ष 2009 में) पूर्व संभाव्यता रिपोर्ट के आधार पर परियोजना की तकनीकी विवरण और इस लिंक के विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की आधुनिक स्थिति शामिल थी।

(ii) मुख्य अभियंता (मुख्यालय) ने बताया कि प्रस्तावित बलपहाड़ी बाँध स्थल पर 75% निर्भरता पर बराकर नदी का सकल उत्पादन 1751 मि.घ.मी था। सिंचाई, सार्वजनिक और औद्योगिक उपयोगों के लिए जल आवश्यकता क्रमशः 684 मि.घ.मी, 94 मि.घ.मी और 105 मि.घ.मी है। सिंचाई, सार्वजनिक एवं औद्योगिक उपयोगों से 218 मि.घ.मी के पुनरुत्पादन के पश्चात बलपहाड़ी बाँध स्थल पर कुल शेष जल लगभग 1086 मि.घ.मी होगा, झारखण्ड राज्य के औद्योगिक तथा नौपरिवहन उद्देश्यों हेतु जिसमे से 763 मि.घ.मी जल को बराकर-दामोदर-सुबर्णरेखा लिंक परियोजना के माध्यम से सुबर्णरेखा नदी में दिक्परिवर्तित करने का प्रस्ताव है। मुख्य अभियंता (मुख्यालय), रा.ज.वि.अ के अवलोकन अनुसार बराकर-दामोदर-सुबर्णरेखा लिंक परियोजना की योजना में मुख्य मुद्दा है पथांतरण के लिए बराकर नदी में जल की उपलब्धता और पश्चिम बंगाल में दामोदर नदी के निचले भागों में इस पथांतरण का प्रभाव।

(iii) झारखण्ड के प्रतिनिधि ने सूचित किया कि के.ज.आ ने प्रस्तावित बलपहाड़ी बाँध की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर ली है। बराकर-दामोदर-सुबर्णरेखा लिंक परियोजना की नई पूर्व संभाव्यता रिपोर्ट बनाते समय रा.ज.वि.अ को यह विस्तृत परियोजना रिपोर्ट ध्यान में रखना होगा। उन्होंने पश्चिम बंगाल सरकार के प्रतिनिधि से प्रस्तावित बलपहाड़ी बाँध के विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर पश्चिम बंगाल सरकार की राय/ दृष्टिकोण प्रदान करने का अनुरोध किया था। उन्होंने बताया कि बराकर-दामोदर-सुबर्णरेखा लिंक परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार और दामोदर घाटी निगम से सहमति प्राप्त करना आवश्यक है।

(iv) पश्चिम बंगाल के प्रतिनिधि ने बताया कि एक स्वचलित परियोजना के रूप में के.ज.आ द्वारा इस परियोजना की प्रस्तावित बलपहाड़ी बाँध की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनाई जा चुकी है। यदि इस परियोजना को अंतः राज्य लिंक के हिस्से के रूप में समझा जाता है, तो इसकी जल योजना भिन्न हो सकती है। उन्होंने अनुरोध किया कि इस बैठक में उठाए गए मुद्दों और साथ हीं निचले तटवर्ती राज्यों के आवश्यकताओं पर भी विचार करते हुए सर्व प्रथम बराकर-दामोदर-सुबर्णरेखा लिंक परियोजना का पूर्व संभाव्यता रिपोर्ट तैयार किया जाए और इस पर सभी जलाशय राज्यों का विचार/ दृष्टिकोण जानने के लिए उन्हें यह भेजा जाए। उस समय तक बराकर-दामोदर-सुबर्णरेखा लिंक परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के कार्य पर कोई गतिविधि नहीं होनी चाहिए।

(v) रा.ज.वि.अ के महानिदेशक तथा सदस्य सचिव के अवलोकन अनुसार बराकर-दामोदर-सुबर्णरेखा लिंक परियोजना की योजना बनाते समय झारखण्ड तथा ओडिशा सरकारों और दामोदर घाटी निगम (दा.घा.नि) के मध्य जल के मौजूदा उपयोग और जल आवंटन में कोई असुविधा नहीं आनी चाहिए।

(vi) मुख्य अभियंता (मुख्यालय), रा.ज.वि.अ ने बताया कि बराकर-दामोदर-सुबर्णरेखा लिंक परियोजना के पूर्व संभाव्यता रिपोर्ट की एक प्रति दा.घा.नि को भेजी गई है ताकि इस पर उनका सुझाव/ राय जाना जा सके। डी.वी.सी. के अध्यक्ष से बराकर-दामोदर-सुबर्णरेखा लिंक परियोजना के पूर्व संभाव्यता रिपोर्ट पर उनका सुझाव/ राय प्रदान करने का अनुरोध किया गया था। सदस्य (न.प्र), के.ज.आ और अध्यक्ष, दामोदर घाटी नदी समीक्षा समिति (दा.घा.न.स.स) ने सुझाव दिया कि रा.ज.वि.अ को बराकर-दामोदर-सुबर्णरेखा लिंक परियोजना के पूर्व संभाव्यता रिपोर्ट की समीक्षा करनी चाहिए और दा.घा.न.स.स का राय/ अवलोकन जानने के लिए इसकी एक प्रति दा.घा.न.स.स को प्रदान की जानी चाहिए।

(vii) केंद्रीय जल आयोग अध्यक्ष ने कहा कि प्रस्तावित बलपहाड़ी बाँध स्थल पर जल उत्पादन की गणना के लिए दामोदर जलाशय में क्रियाशील मैथन जलकुंड की आतंरिक प्रवाह आंकड़ों का उपयोग उचित तरीके से किया जा सकता है। उन्होंने उल्लेख किया कि दामोदर/बराकर नदियों में उपलब्ध जल का वितरण झारखण्ड और पश्चिम बंगाल राज्यों और दामोदर घाटी निगम के मध्य पहले हीं किया जा चुका है। मौजूदा आवंटन का मान रखने का बाद यदि कोई अधिशेष जल उपलब्ध होता है तो केवल तभी इस अधिशेष जल को बराकर-दामोदर-सुबर्णरेखा लिंक परियोजना के माध्यम से अंतरण पर विचार किया जा सकता है।

(viii) अध्यक्ष ने बताया कि केन्द्रीय जल आयोग विशेषज्ञों के एक समूह की सहायता से दस उप-जलाशयों का जलाशय अध्ययन आयोजित करने की योजना बना रहा था, इस समूह में के.ज.आ के अधिकारी; आईआईटी,

दिल्ली और राज्य सरकारों के विशेषज्ञ सम्मिलित होंगे। दामोदर जलाशय भी उनमे से एक है। बराकर-दामोदर-सुबर्णरेखा लिंक परियोजना की योजना बनाते समय इस अध्ययन के परिणामों पर विचार किया जा सकता है।

(ix) विस्तार पूर्वक विचार-विमर्श के बाद यह तय किया गया की मैथन जलकुंड पर आतंरिक प्रवाह और जल के मौजूदा आवंटन पर विचार करते हुए, रा.ज.वि.अ को अंतः राज्य लिंक की पूर्व संभाव्यता रिपोर्ट की समीक्षा करनी होगी और संबंधी राज्यों और मतैक्यता निर्माण के उप-समिति के सदस्यों को यह समीक्षा रिपोर्ट भेजना होगा। फिर उसके बाद विस्तृत परियोजना रिपोर्ट

(x) तैयार करने के बारे में निर्णय लिया जाएगा।

अध्यक्ष का धन्यवाद करते हुए बैठक समाप्त हुई।

संलग्नक – I

30.10.2015 को नई दिल्ली में आयोजित संबंधी राज्यों के मध्य समझौते के ज़रिए मतैक्यता निर्माण करने और सहमति पर पहुँचने के लिए गठित उप-समिति के द्वितीय बैठक के सहभागियों की सूची

1	श्री ए.बी पांड्या अध्यक्ष, के.ज.आ, नई दिल्ली	अध्यक्ष
2	श्री नरेन्द्र कुमार सदस्य (ज.प्र एवं प), के.ज.आ	सदस्य
3	श्री नवीन कुमार मुख्य अभियंता (कृ.प्र.सं), के.ज.आ नई दिल्ली	सदस्य
4	श्री एम. बंगरास्वामी	सदस्य – प्रधान सचिव, ज.सं.वि,

	मुख्य अभियंता, आईजेडब्लू, ज.सं.वि.सं, बेंगलुरु	कर्नाटक सरकार के प्रतिनिधि
5	श्री के.एस राम कुमार उपाध्यक्ष, कावेरी तकनीकी सेल सह आईएसडब्लूडब्लू, तमिलनाडु	सदस्य – प्रधान सचिव, ज.सं.वि, तमिल नाडू सरकार के प्रतिनिधि
6	श्री डी.के. सिंह अधीक्षण अभियंता, ज.सं.वि, झारखण्ड सरकार, रांची	सदस्य – प्रधान सचिव, ज.सं.वि, झारखण्ड सरकार के प्रतिनिधि
7	श्री बिपुल मुखर्जी उप सचिव, सिंचाई एवं जल मार्ग विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार	सदस्य – प्रधान सचिव, ज.सं.वि, पश्चिम बंगाल सरकार के प्रतिनिधि
8	श्री एस. मसूद हुसैन महानिदेशक, रा.ज.वि.अ, नई दिल्ली	सदस्य – सचिव
	विशेष अतिथिगण	
9	श्री नरेन्द्र कुमार सदस्य (न.प्र), के.ज.आ एवं अध्यक्ष, दा.घा.न.स.स	
10	डॉ बी.राजेंदर संयुक्त सचिव (पीपी), ज.सं, न.वि और गं.सं मंत्रालय	
11	श्री आर.के जैन मुख्य अभियंता (ज.यो.प्र.सं), के.ज.आ, नई दिल्ली	
	के.ज.आ के अधिकारी	
12	श्री बी.पी पांडे निदेशक, के.ज.आ, नई दिल्ली	
	रा.ज.वि.अ के अधिकारी	
13	श्री एम.के श्रीनिवास मुख्य अभियंता (दक्षिण), रा.ज.वि.अ, हैदराबाद	
14	श्री आर.के जैन मुख्य अभियंता (मुख्यालय), रा.ज.वि.अ, नई दिल्ली	
15	श्री एन.सी जैन निदेशक (तक), रा.ज.वि.अ, नई दिल्ली	
16	श्री के.पी गुप्ता अधीक्षण अभियंता, रा.ज.वि.अ, नई दिल्ली	

17	श्री ओ.पी.एस कुशवाह अधीक्षण अभियंता, रा.ज.वि.अ, नई दिल्ली	
18	श्री मुज़फ्फर अहमद अधीक्षण अभियंता, रा.ज.वि.अ, पटना	
19	श्री एम.एस अग्रवाल वरिष्ठ सलाहकार, रा.ज.वि.अ, नई दिल्ली	
20	श्री आर.के शर्मा उप निदेशक, रा.ज.वि.अ, नई दिल्ली	
21	श्री नागेश महाजन उप निदेशक, रा.ज.वि.अ, नई दिल्ली	